पत्र सूचना शाखा,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

—————

राज्यपाल के समक्ष किया गया उच्च शिक्षा विभाग का प्रस्तुतीकरण

————

शिक्षकों की भर्ती नियमानुसार, पारदर्शिता एवं समय मर्यादा तय करके करें – राज्यपाल

————

निर्माण कार्य समय से न पूरा होने पर कार्यदायी संस्था का दायित्व निर्धारित करें – राज्यपाल

———

लखनऊ : 3 सितम्बर, 2019

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के समक्ष उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आज राजभवन में प्रस्तुतीकरण किया गया। इस अवसर पर राज्यमंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार, मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री हेमन्त राव, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन ने अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि राजकीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक पदों पर भर्ती नियमानुसार, पारदर्शिता एवं समय मर्यादा तय करके करें। वित्तीय अनुदान समय पर जारी करें तथा निर्माण कार्य का समय–समय पर निरीक्षण करें। जमीन की कमी को देखते हुये विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन इमारतों हेतु बहुमंजिली इमारतों के निर्माण को प्राथमिकता दें। निर्माण कार्य में टेण्डर के साथ–साथ निश्चित समयावधि में काम पूरा होना चाहिए। निर्माण कार्य समय से न पूरा होने पर कार्यदायी संस्था का दायित्व निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि प्रोन्नति से संबंधित पत्रावलियों को समय सीमा के भीतर निस्तारित करें।

प्रस्तुतिकरण बैठक में राज्य में स्थापित विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयवार प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक सृजित एवं रिक्त पदों, विश्वविद्यालय में ऑनलाईन व्यवस्थाओं, विश्वविद्यालयों को प्रदान किये जाने वाले बजट एवं अनुदान, विश्वविद्यालयों की विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय एवं व्यय, विश्वविद्यालयों में शासकीय अनुदान के माध्यम से कराये जा रहे निर्माण कार्यों, नैक मूल्यांकन, विश्वविद्यालयों हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं सहित उच्च शिक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे नवीन कार्यों पर भी चर्चा हुई।

————

अंजुम/ललित/राजभवन (44/2)